SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, this issue had been discussed in detail on many occasions in this House. I would only request the Minister and the Central Government to go through the record of those discussions and take notice of what the non. Members had said at that point of time. A similar complaint has been made now and I request the Central Government to take immediate action ir the matter. If the matter is further delayed, the situation will become worse and we wil! never be able to catch the culprits. Therefore, I draw the attention of the Central Government to this issue and request them to immediately go into the record and take appropriate action on the basis of what the non. Members had said. I had an opportunity to visit the area and I had myself seen what the real situation was. I am not going to narrate that thing here. It requires and immediate attentionby the Central Government.

Agitation and Demonstration By Workers of Gramin Vikas Banks against Non-Implementation of their Long-Pending Demands

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ग्रमीण बैंक कर्मियों की समस्याओं की ओर खींचना चाहता हूं। महोदय, आज देश भर से आए हजारों ग्रमीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी ने अपनी मांगों के समर्थन में नई दिल्ली में संसद भवन के बाहर, जन्तर मन्तर पर प्रदर्शन किया और मेरी जानकारी के अनुसार आज शाम तक सैकड़ों बैंक कर्मियों ने गिरफ्तारीयां दी। उनकी 22 सितम्बर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की भी योजना है। महोदय, इस संबंध में मैं एक बात की जानकारी देना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर गठित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने भारत सरकार को क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के समान वेतन-भत्ते एवं सुविधाएं देने के निर्देश दिए थे। भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग में हुए पांचवें वेतन समझौते के अनुसार वेतन-भत्ते एवं सुविधाएं लागू करने देने के निर्देश 1991 में जारी कर दिए थे। लेकिन सरकार छठे वेतन समझौते को ग्रामीण बैंक कर्मियों पर लागू करने में आनाकानी कर रही है, जबकि सावजनिक क्षेत्र के बैंकों में समझौता करने के सम्बन्ध में वार्ताएं जारी हैं। भारत सरकार ने पिछले वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की दशा सुधारने में करीब 17 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी है, फिर भी ग्रमीण बैंकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि पांचवे वेतन-आयोग की सिफारिशें जिनको केन्द्र एवं राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मियों पर लागू की जा चुकी है और सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समय-समय पर वेतन पुनरीक्षित होते रहे हैं पिछले सात वर्षों से, लेकिन ग्रमीण बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह ग्रामीण बैंक कर्मियों की मांगों को स्वीकृत करने की सदन में घोषणा करें, ताकि आगे भविष्य में इस संघर्ष को टाला जा सके और जो 22 सितम्बर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की योजना है, उसको रोका जा सके। धन्यवाद।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार) : मैं भी अपने आपको इससे सम्बद्ध करता हूं।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN (Kerala): Sir, I also associate myself with the views expressed by the hon. Member.

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): महोदय, मैं इसमें अपने आपको सम्बद्ध करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं यह टोटल 176 क्षेत्रीय बैंक हैं और इनकी 14543 शाखाएं देश में काम कर रही हैं और कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से यह बैंक काम कर रहे हैं और कृषि क्षेत्र में आत्म-निर्भरता के नाते गांवों से प्राप्त जितनी राशि है उसका गांवों में खर्च करने की दृष्टि से और जो असंगठित, गरीब और कमजोर वर्ग है उस पर ध्यान देने के नाते इन बैंकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और इसलिए भारतीय राष्ट्रीय ग्रमीण बैंक स्थापित करने की बात पिछले अनेक वर्षों से कही जाती रही है और इसलिए उनकी मांग के समर्थन में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार अविलम्ब भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करे और इसके स्थापित करने के साथ-साथ इनकी मांगों को भी स्वीकार करें, इतना में निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करता हूं।